



न्यायालय माननीय राजस्व पपड़ु मध्यपदेश, ग्वालियर

नियमानुसूल 1104-I-15

प्रकरण क्रमांक . । २०५५ निगरानी

बैंगरी कुमार शर्मा पुत्र किंशुभर दयाल शर्मा,
निवासी पुरानी सब्जी मण्ही रीड, केलास,
तेहसील केलास, जिला पुरीना-मध्यपूर्वे ।

प्राथी.

विराट

- १- प्रकाश चन्द्र शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा,
 २- गीतादेवी वैवा राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
 ३- अरजण शर्मा पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
 ४- पुक्षा शर्मा |
 ५- दीप्ता शर्मा |

समस्त निवासीगण पुरानी सब्जी मढ़ीरड़ी,
नहर के पास, किलारख, तेहसील भेलारख,
जिला पुरना-मध्यप्रदेश ।

६- श्रीमती मंदाकिनी पुत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा
पत्नी राधावल्लभ शर्मा, निवासिन कस्बा
पहाड़गढ़, तेहरी ज़ीरा - ३७०८५०।

— प्रतिप्राथीगण —

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०आ०० महीदय की आशा कातून सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०आ०० महीदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
दिश्टति को सही नहीं समझा है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1104-एक/15

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-२-१८.	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१५ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">~ प्रशासकीय सदस्य</p> 	